



सेवा में।

पत्रांक— 2229 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 27 अप्रैल, 2024

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्ता,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :- जनपद—चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.598 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/153238/2022)

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या—1835 / 12-1 दिनांक 20.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कर्मियां निम्नानुसार हैं :—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—FC-11/43/2021-FC दिनांक 16. 01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :—
 - a. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.
 - b. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil and Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न / अपलोड किया जाए।

2. प्रश्नगत प्रकरण गैर स्थल विशिष्ट की श्रेणी (Non Site Specific Category) के अन्तर्गत होने की दशा में कृपया सक्षम स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में Justification भी पोर्टल में अपलोड किया जाय।
3. प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना है।
4. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निरस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निरस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट-II में यथास्थान अपलोड की जाय।
5. प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निरस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)
7. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।

8. के०ए०ए०ए०ल० फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए।
9. डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
10. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित रथल के स्लोप को बैंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त रथल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
11. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
12. मलवा निस्तारण रथल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिर्किंग वैकटीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फार्स्फोरस प्रदान करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियों पाई गयी हैं उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त कर लेवें तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण करते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर०क० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :- 2229 / 12-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेपित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेपित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(आर०क० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।